लॉ सक्सेस

भारतीय दण्ड संहिता-1860

INDIAN PENAL CODE, 1860

लेखक :

पवन कुमार गुप्ता

प्रवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह लॉ कालेज, प्रयागराज

पुर्नसंशोधन :

पंकज महाजन

अधिवक्ता उच्च न्यायालय, प्रयागराज

प्रश्नोत्तर प्रारूप में

भाग-1	⇔	**भारतीय दण्ड संहिता**	⇔	**पेज 1 से 240**
भाग-2	⇔	**समस्यात्मक प्रश्न**	⇔	**पेज 241 से 312**
भाग-3	⇔	**वस्तुनिष्ठ प्रश्न**	⇔	**पेज 113 से 380**

VB विधि भारती

335/285, के0 एल0 कीडगंज,

इलाहाबाद, मो0- 09450633344

Website : *www.vidhibharti.org*

॥ जय माता दी ॥

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

Rs : 350

2020

ACCOUNT N0. DETAIL

Name of Bank—Punjab National Bank
Name of Account Holder—Vidhibharti
Account No —1006002100106133
IFC Code—PUNB0100600

प्रधान संपादक : रचना महाजन

सह-सम्पादक : पंकज महाजन, अधिवक्ता

मुद्रक : पराशक्ति प्रेस, कीडगंज, इलाहाबाद

कम्पोजिंग : विधि भारती कम्प्यूटर डिवीजन

WHATSAPP . 8542028710

ADDRESS :

VIDHI BHARTI

335/285, के0 एल0 कीडगंज, इलाहाबाद

इलाहाबाद, Tel : 09335125454

Website : www.vidhibharti.org

www.book.vidhibharti.org

Email : *support@vidhibharti.org*

प्रतिलिप्यधिकार सहित प्रकाशन, प्रत्युत्पादन तथा किसी भी अन्य प्रकार से पुस्तक के किसी अंश को प्रस्तुत करने सहित सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। इस पुस्तक को यथासम्भव त्रुटि रहित व आद्यतन प्रस्तुत करने का भरपूर प्रयास किया गया है, फिर भी यदि अज्ञानतावश इसमें कोई त्रुटि या कमी रह जाती है, तो उसके कारण हुई क्षति या संताप हेतु प्रकाशक, मुद्रक अथवा लेखक का कोई अन्य व्यक्ति का दायित्व न होगा, इन्हीं शर्तों पर यह पुस्तक विक्रय हेतु प्रस्तुत है। पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित है।

—प्रकाशक

विषय सूची
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

भारतीय दण्ड संहिता पर प्रमुख वाद एवं संबन्धित न्यायाधीश 1
महत्वपूर्ण लैटिन सूक्तियाँ..... 2
भारतीय दण्ड संहिता में 1870 से 2018 तक के संशोधन 3
अपराध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि..... 6
अपराध एवं अपराध के तत्व.....8-11
—प्रयत्न एवं प्रयत्न का सिद्धान्त..... 12
—प्रयत्न और तैयारी में अन्तर.....13
मेन्स रिया (Mens-rea) दुराशय.....14
अध्याय 1 – प्रस्तावना (धारा 1 से 5).....17

अध्याय 2
सामान्य स्पष्टीकरण
(धाराएँ 6 से 52क)

परिभाषा खण्ड 20-24
आन्वयिक दायित्व (Constructive Liability).... 25
सामान्य आशय (धारा 34) (*Common Intention*)26
धारा 34 तथा धारा 149 में अन्तर.....30
—*actus non facit reum nisi mens sit rea*).
—सामान्य आशय (धारा 34) पर महत्वपूर्ण वाद.....31
—साधारण स्पष्टीकरण पर महत्वपूर्ण वाद.....31
—*आर0 बनाम क्रुश,* 1835, *बारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर,* AIR 1925 P.C. 1 23
—*महबूब शाह बनाम एम्परर,* AIR 1945 S.C. 23
—*ऋषिदेव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* 1955 S.C. 24
—*श्री कान्तिया बनाम बम्बई राज्य,* 1955 एस.सी.....24
—***पाण्डुरंग बनाम स्टेट आफ हैदराबाद, 1955***.....24
—*जे० एम० देसाई बनाम बम्बई राज्य,* 1960 S.C. ... 24
परीक्षापयोगी तथ्य—अध्याय 2 (धारा 6-52(क) 31
आन्वयिक दायित्व (Constructive Liability) 24
सामान्य आशय का अर्थ..... 24
धारा 34 के आवश्यक तत्व..... 25
सामान्य आशय तथा समान आशय में भेद है 25
[UP (APO) 2007, Utt. (J) 2016]
सामान्य उद्देश्य (धारा 149)(*Common Object*) 26
सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में भेद.....26
साधारण स्पष्टीकरण पर महत्वपूर्ण वाद.....27
परीक्षापयोगी तथ्य— अध्याय 2 (धारा 6-52(क))

अध्याय 3
दण्डों के विषय में
धाराएं (53-75)

—दण्ड (धारा 53), दण्ड का लघुकरण (धारा 55).....33
—समुचित सरकार (धारा 55-क).....35
—दण्डावधियों की भिन्नें (धारा 57).....35
—एकान्त परिरोध (*Solitary Confinement*) (धारा 73).....37
— एकान्त परिरोध की अवधि (धारा 74)..... 37
परीक्षापयोगी तथ्य —अध्याय (धारा 53-75).....37

अध्याय 4
साधारण अपवाद
धाराएं (76-106)

साधारण अपवाद (*General Exception*).....38
—विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य (धारा 76).....39
—**धारा 76 की दो सूक्तियाँ** "*Ignorantia facit excusat*" *Ignorantia Juris non excusat*
—आवश्यक तत्व, विधि द्वारा आबद्ध (Bound by Law)39
—**धारा 76 पर महत्वपूर्ण वाद**.....39
—न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य (धारा 77) 40
—न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कृत्य (धारा 78).....40
—विधिक औचित्य के ताथ्यिक भूल के अधीन किया गया कृत्य (धारा 79).....41
—**धारा 76 एवं धारा 79 में अन्तर**..... .41
—**विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना (धारा 80)**..... 41
—.अन्य प्रमुख वाद..... .42
—दृष्टान्त पर आधारित समस्या 42
— ऐसा कृत्य जिससे क्षति सम्भव्य हो किन्तु जो बिना आपराधिक आशय के दूसरी क्षति को निवारित करने के लिए किया गया हो (धारा 81) 43
— *आर. बनाम डडले और स्टीफेंस* (1884) 14 43

विधिक औचित्य के अधीन या सद्भावनापूर्वक
— भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत शिशु का दाण्डिक दायित्व (धारा 82, 83).....44
— विधिक नीति (*Policy of Law*).....44
— सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य (धारा 82) (*doli incapax*).....44
—.सात वर्ष से उपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के
— अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य (धारा 83) 45
— *"Malita supplet octatem"* **(धारा 83)** 45
—धारा 83 के आवश्यक तत्व.....45
—12 वर्ष या उससे अधिक आयु का बालक.....45
—अवयस्क बालक के प्रति वर्तमान दण्डशास्त्री सुधारवादी
—**बाल अपराधी (धारा 2** (h)) (Juvenile)..... 45
— विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (धारा 84)..... 47
—धारा 84 के आवश्यक तत्व..... 47
—**चित्त विकृति व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य** 47
—**विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (धारा 84)**..... 47
—***मैकनॉटन* का वाद** (1843) 8 ई0 आर0 1718..47
–विकृतचित्तता के सिद्धान्त.....48
—जंगली प्राणी परीक्षण—*आर0* बनाम *आर्नल्ड*.....48
—चित्त विकृति विभ्रम परीक्षण —*हैण्ड फील्ड* का वाद 48
—उचित एवम् अनुचित के मध्य विभेद की सक्षमता परीक्षण
—*बाऊलर* का प्रकरण (1812).....48
—मैकनाटन का सिद्धान्त (1843).....48
—*मैकनाटन डर्इम बनाम राज्य*..... 48
—धारा 84 आई0पी0सी0 की आलोचना.....48
—The Homicide Act, 1957 के प्रावधान..... 48
प्रमुख वाद (संक्षेप में) (धारा 84).....49
— सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना (धारा 105).....49
—*रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य*..... 49
—*टी. टी. लिंगारेड्डी बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1991.....49
—*शंकरी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य,* 1990, A.P..... 49
मत्तता (धारा 85).....**50**
—ऐसे व्यक्ति का कृत्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ हो (धारा 85)
— *रेनिजर बनाम फोगोस्सा* (1851 K.B.).....51
—उसके ज्ञान के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध.....51
—*रेनिन्जर बनाम फोगोस्सा,* 1851 KB 51
—*आर बनाम लिपमैन,* 1970 KB 51
— *डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्राजीक्यूशन बनाम बियर्ड* 51
—*भगवान तुकाराम दांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य,* (2014)... 52
स्वैच्छिक मत्तता (धारा 86)..... 52
—*वासुदेव* बनाम *पेप्सू राज्य,* ए0आई0आर0 1956.....53
—धारा 86 पर अन्य अंग्रेजी वाद.....53
— सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भावना का ज्ञान हो (धारा 87) *'वॉलेन्टी नॉन फिट इन्जूरिया'*.....53
— किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है (धारा 88)—*"Volenti non fit injuria"*..... 54
— संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य.....55 (धारा 89).....55
— सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भ्रम या भय के अधीन दी गई हो (धारा 90).....55
—उपहति के भय में दी गई सम्मति.....55
—पागल या मत्त व्यक्तियों की सम्मति.....55
—शिशु की सम्मति—दशरथ पासवान, 1958
—*पुनई फातिमा* बनाम *सम्राट* (1869).....56
—*आर. बनाम फ्लैटरी,* 1977, *आर०* बनाम *बैरेट*.....56
—*आर. बनाम फ्लैचर,* 1859.....56
— ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है (धारा 91)..... 56
— सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य (धारा 92).....57
— सद्भावनापूर्वक दी गयी संसूचना (धारा 93).....57
— वह कार्य जिसको करने के लिए व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया गया हो (धारा 94).....58
— तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य (धारा 95) लैटिन सूत्र *'deminis non curet lex'* 58

अध्याय 4 (धारा 76-106)
साधारण अपवाद (*General Exceptions*)

प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार (धारा 96 से 106).....73
— विवक्षित सीमाएँ (धारा 96).....59
— अपराध करने में असमर्थ है (*Doli incapax*) .....60 (धारा 96)
— वह व्यक्ति जो अन्यथा अपराध कारित नहीं कर सकते या उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जो अपराध करने में असमर्थता व्यक्त सीमाकारी प्रावधान (धारा 99).....61
— शरीर के विरुद्ध या सम्पत्ति के विरुद्ध सामान्य वैधानिक सीमाएँ आरोपित करती प्रचण्डतम धारा (धारा 100)...61
— यह धारा व्यापक (wider) है। (All Sec. Include - ''मार डालने को छोड़कर'' (धारा 101).....61
— **धारा 101 से 105**.....61
आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार
— प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई कोई बात अपराध नहीं है (धारा 96).....63
—अधिकारों की योजना पर एक नज़र.....64
—**प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार सीमाएँ**.....64
—*राम आधार बनाम स्टेट आफ बिहार,* 1986, पटना.....64
—*उत्तर प्रदेश राज्य* बनाम *पेप्सू,* (1983)..... 64
—*लक्ष्मण साहू* बनाम *उड़ीसा राज्य,* 1988..... 64, 66
—**धारा 103 से धारा 105**.....64
—**शरीर तथा सम्पत्ति के विरुद्ध** 64
—आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार (धारा 97 सपठित 100 तथा 99).....64
—**सम्पत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार (धारा 97)**..... ..65
—वे परिस्थितियाँ, जिसमें शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होगा (धारा 100 सपठित 99).....65
— ''तृतीय खण्ड', चतुर्थ खण्ड, ''पंचम खण्ड''.....66
—**सदोष परिरोध के लिए हमला 'षष्टम् खण्ड'**..... 66
—आत्म-प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमायें (धारा 99).. .65
— क्या आत्मरक्षा (P.D.) के अधिकार का प्रयोग अपराधी (*of fender*) को भी प्राप्त है?.....65
— ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृति-चित्त आदि हो (धारा 98) (*doli incapax*).....65
— कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है - 'मृत्यु से कम उपहति' ''धारा 101 सपठित 99, 100''.....65
— शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ तथा उसका जारी रहना (धारा 102) 65
— ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है- 'या मृत्यु से कम अपहानि कब की जा सकी है'(धारा 104).....66
—सम्पत्ति की आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना या जारी रहना (धारा 105).....66
—**लूट के विरुद्ध आत्मरक्षा के अधिकार की निरन्तरता** (धारा 105) 66
घातक संप्रहार (हमले) के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार (धारा 106).....68
परीक्षापयोगी तथ्य..... 69
साधारण अपवाद (*General Exceptions*)पर प्रमुख वाद...69

अध्याय 5-धाराएं (107 से 120)
दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र

दुष्प्रेरण *(Abetment)*
—दुष्प्रेरण के रीतियाँ (*Mode of Abetment*) 71
— कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता हुआ कब कहा जाता है (धारा 107)..... 72
—**उकसाना** (Instigation)— *क्वीन बनाम मोहित*.....72
—षड़यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण.....72
—सहायता के माध्यम से दुष्प्रेरण.....74
—कार्य द्वारा सहायता (Aiding by act).....74
—इ*म्परर बनाम फैयाज हुसैन, हजारी लाल बनाम एम्परर* 74
—अन्य प्रमुख वाद..... 74
— *उमी का मामला* (1882)..... 75
—भारत के बाहर किये जाने वाले अपराध का भारत में दुष्प्रेरण (धारा 108-क).....77
— दुष्प्रेरण के लिए दण्ड (धारा 109).....77

— ऐसे मामलों में दुष्पेरण हेतु दण्ड जबकि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक से भिन्न आशय से कार्य करता हो (धारा 110).....78
— दुष्प्रेरक का दायित्व जबकि दुष्प्रेरित कृत्य से भिन्न कृत्य कारित किया गया हो (धारा 111).....78
—धारा 110 तथा धारा 111 में भेद.....79
—**दुष्प्रेरक को संयुक्त दण्ड (संचयी दण्ड) (धारा 112).** 79
— दुष्प्रेरित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित किये जाने के मामले में दुष्प्रेरक का दायित्व (धारा 113).....79
— अपराध कारित किये जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति (धारा 114).....80
— 'उपस्थिति' का अर्थ (Meaning of presence).....80
संगीन अपराध (धारा 115 एवं 118).....80
— मृत्यु या आजीवन कारावास (L.I.) से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता (धारा 115) 80
— मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना (धारा 118)..... 81
— कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाये (धारा 116).....81
— यदि ऐसे अपराध किये जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है (धारा 119).....81
— कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना (धारा 120)..... 82

अध्याय 5-क
(धारा 120क-ख)
आपराधिक षड्यन्त्र
(*Criminal Conspiracy*)

— आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा (धारा 120-क)..... 83
— षड्यन्त्र का सबूत (Proof of Conspiracy).....83
—पति तथा पत्नी का आपस में षड्यन्त्र.....83
— *तमिलनाडु राज्य* बनाम *नलिनी,* 1999 एस० सी०....83
—हित्टवर्च का मामला (1890) 24 QBD 420.....83
— आपराधिक षडयंत्र के लिए दण्ड (धारा-120ख).....83
— आपराधिक षड्यन्त्र और दुष्प्रेरण में अन्तर..... 84
—**परीक्षापयोगी तथ्य** (धारा 107-120).....84
दुष्प्रेरण, षड्यन्त्र (धारा 107-120-ख)

अध्याय 6
राज्य के विरुद्ध अपराध
Of offences against the State)
(धारा 121-130)

—धारा 121—गणेश डी. सावरकर, 1909 86
राजद्रोह (*Sedition*)..... 86
—धारा 124-क—धारा 124-क के आवश्यक तत्व.....87
—*क्वीन बनाम बालगंगाधर तिलक,* (1897) मुम्बई 88
—धारा 124-A की संवैधानिकता..... 88
अन्य धाराएँ (धारा 131-140)..... 84

अध्याय 7
धाराएं (131 से 140)
सेना, नौसेना और वायु सेना से सम्बन्धित अपराध

धारा 131से 140.....88

अध्याय 8
धाराएं (141 से 160)
लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध

लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध..... 89
—विधि विरुद्ध जमाव (धारा 141)..... .89
—सामान्य उद्देश्य—*विशम्भर भगत बनाम राज्य,*1971....89
—विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना (धारा 142)..... 90
—दण्ड (धारा 143).....90
बल्वा करना (Rioting)(धारा 146).....90
—**सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग** 90
—आकस्मिक झगड़ा (Sudden quarrel).....91
—बल्वा के अपराध के लिए दण्ड (धारा 147)..... 91
—घातक आयुद्ध से सज्जित होकर बल्वा करना (धारा 148)
—विधि विरुद्ध जमाव पर हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को 91
अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी (धारा 149)
—*ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य,* (2014) ..... .92
धारा 150 से 156.....93
धारा 157, धारा 158.....93
—विधि विरुद्ध जमाव एवं बलवा में अन्तर.....94

दंगा (Affray) (धारा 159 r/w **160)**..... .94
—दंगा के लिए दण्ड (धारा 160)..... 95
—दंगा एवं बलवा में अन्तर.....95
परीक्षापयोगी तथ्य.....96
अध्याय 8 (धारा 141-160).....**96**
अध्याय 9 (धारा 161-171).
लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित.....97
अध्याय 9क...**(धारा 171क-171झ)**.....**97**
निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में.....**98**
—धारा 171-क. ''अभ्यर्थी'' ''निर्वाचन अधिकार''.....98
—रिश्वत (धारा 171 क-झ).....122

अध्याय 10 (धारा 172-190)
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान

धारा 174 से धारा 182..... 98
धारा 183 से धारा 190.....100
—मिथ्या साक्ष्य देना (धारा 191) 101
—मिथ्या साक्ष्य गढ़ना (धारा 192).....101
प्रमुख वाद..... 101
मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड (धारा 193).....104
धारा 194-धारा 229..... 104-106
परीक्षापयोगी तथ्य (धारा 191-229).....107
अध्याय 12 (धारा 230-263क).....107
सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराध 108
अध्याय 13 (धारा 264-267).....109
बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराध के विषय में

अध्याय 14 (धारा 268-294 क)
लोक स्वास्थ्य क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

लोक न्यूसेन्स (धारा 268)..... 109
धारा 271 से धारा 294.....110
परीक्षापयोगी तथ्य धाराएँ (268-294).....111

अध्याय 15 (धारा 195-298)
धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धाराएँ (295-298)..... 111

अध्याय 16
धाराएँ (299 से 377)
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध

आपराधिक मानववध..... 112
—आपराधिक मानव वध जब हत्या है(धारा 299).....112
—आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्व..... 113
—आपराधिक मानव वध का हत्या की कोटि में आना.... 114
आपराधिक मानव वध पर प्रमुख वाद..... 115
—*आर0 बनाम गोविन्दा,* 1876, बम्बई.....115
—गणेश दूबे, 1879 कलकत्ता 115
—*राज्य बनाम इन्दू बेग,* 1881, जलालुद्दीन, 1892....115
—*कांगला बनाम एम्परर,* 1898 इलाहाबाद 115
—चतुरनाथ, 1919 बाम्बे,लक्ष्मण कालू, 1968 एस0सी0
—आसन्न संकटपूर्ण कार्य का ज्ञान.....115
—प्रमुख वाद संक्षेप..... 115
हत्या (*Murder*) (धारा 300).....116
—हत्या के आवश्यक तत्व..... 117
—*विरसा सिंह बनाम राज्य,* AIR 1958 SC 117
— सादिक @ लालो गुलाम हुसैन शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य, JT 2016 (10) SC 74 119
—*फकीरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* 1955 इलाहाबाद....119
—*पुनाई फत्तेमा बनाम एम्परर,* 1869 119
—*इम्परर बनाम धिरजिया* (1940).....120
—*ग्यारसीबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* (1953).....120
धारा 300 का अपवाद..... 120
अपवाद-1— गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन.....121
—*के0 एम0 नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य,*1962 SC.. 121
—इन री मुरुगियन, 1957 मद्रास, *वल्कू,* 1938 इला0 121
प्रकोपन के कारण अभियुक्त का आत्म-संयम.....121
अपवाद 2—आत्म-प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्र**मण**.123
—फकीरा चमार, 1866..... 123
— *भगवान स्वरूप बनाम म0प्र0 राज्य* 1992.....123
अपवाद-3, अपवाद-4 123
—*प्रभु बनाम राज्य,* AIR 1991 SC 1069 125
—*कीकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1993 SC 125

—*दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य*.....125
—*बबूलन हिजड़ा बनाम एम्परर,* 1866 125
—*पुनाई फत्तेमा बनाम इम्परर*, 1869..... 125
— उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना (धारा 304) 125
उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य..... .125
—*रामवा का मामला* , 1975, *चेरुवीन ग्रेगरी,* 1964..... 125
—*इन्दू बेग,* 1881, इलाहाबाद, सुपाड़ी, 1925, बम्बई....125
***– नन्द लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य,* निर्णय तिथि** 15 **मार्च, 2019** **125**
सदोष मानव वध एवं उतावलेपन की हत्या में अन्तर.....127
महत्वपूर्ण वाद (धारा 299)..... 127
आपराधिक मानववध एवं हत्या में अन्तर [UP (HJS) 2010, Utt (J) 2016], *आर0 बनाम गोविन्दा* 1876.....127
धारा 299 को तीन खण्डों तथा धारा 300 के चारों खण्डों से अन्तर 127
—धारा 302—हत्या के लिए दण्ड.....128
—सदोष मानववध के दाण्डिक उपबंध.....128
—दुर्लभ से दुर्लभतम (*Rare of the Rarest*).....128
—*अतबीर बनाम सरकार* (NCT Delhi) 2010 SC 129
—*सुरेन्द्र कोली बनाम म.प्र. राज्य और अन्य*, 2011 SC 129
—मृत्युदण्ड की संवैधानिकता.....129
—*अब्दुल नवाज* बनाम *पश्चिम बंगाल राज्य,* 2012....130
—*कुशतीमल्लैयाह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,* 2014.....130
—*सूचा सिंह बनाम हरियाणा राज्य,* 2014 (S.C.).....130
—*करन सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य,* 2013131
—*बादल मुर्म और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*.... 131
मृत्युदण्ड से संबन्धित वाद
—*शंकर कृष्ण राव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य* (2013).131
—*अनिल उर्फ एंथनी एरिक स्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य*, 2014 (4) S.CC 69.....131
—*विजय सिंह और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* 2014 CriLJ 2158.....132
महत्वपूर्ण वाद (धारा 300, 302).....132
परीक्षापयोगी तथ्य (धारा 299, 300).....132
धारा 301 से 338.....132
— जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय हो उनसे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना (धारा 301).... 132
—*ज्ञानेन्द्र कुमार बनाम राज्य,* 1972 एस0सी0.....132
—*जगपाल सिंह बनाम राज्य,* AIR 1965 SC 132
—*सरेन्द्र विश्नोई,* 1965 SC.....132
—*मोफिल खान और एक अन्य बनाम झारखण्ड राज्य*....133
—*मुमताज @ मुन्तयाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* 2016...133
—*हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राजीव जस्सी,* 2016.....133
—*रामबृक्ष @ जालिम बनाम छत्तीसगढ़,* **2016 SC.....** 133
आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड (धारा 303) 133
—*मिट्ठू (मिथु) बनाम पंजाब राज्य,* 1983 SC 133
—*ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य,* 1996एस.सी. 134
हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड (धारा 304).....134
—*अब्दुल हमीद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*(1979) 134
—*हरेन्द्र नाथ मण्डल बनाम बिहार राज्य,* (1991)एस.सी.
—*धीरेन्द्र कुमार धीरु बनाम उत्तराखण्ड राज्य,* 2015.....135
—*के. रवि कुमार बनाम कर्नाटक राज्य,* 2015.....135
—*पूरन लाल और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* **2017**
—*सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य,* **2017** 135
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना (धारा 304-क).....135
—*जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य*, 2005 SC.....135
दहेज मृत्यु (धारा 304 ख).....135
***–कलाबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* निर्णय तिथि–** 30 अप्रैल, 2019 (नान रिपोर्टेबल केस)..... 136
—*हीरालाल बनाम दिल्ली राज्य,* AIR 2003 S.C.....137
—*अप्पा साहब बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 2007 S.C. 137
—*एस0 अनिल कुमार बनाम कर्नाटक राज्य,*2014..... 137
—*बनारसी दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य,*2015....137
—*बैजनाथ और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* 2016 138
शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण (धारा 305)
आत्महत्या का दुष्प्रेरण (धारा 306)..... 138
-*गुरु चरन सिंह बनाम पंजाब राज्य,* JT 2016 (11) SC 432
—धारा 305 एवं धारा 306 में अन्तर.....138

हत्या करने का प्रयत्न (धारा 307).....139
—*मध्य प्रदेश राज्य बनाम इमारत एवं अन्य,* 2008 SC 140
—*मुसम्मात तुलसा,* 1920 इलाहाबाद.....140
—*लोधा सिंह* (1920), *सुरेन्द्र विश्नोई,* 1965 SC.....140
—*जागे राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य,* 2015 141
—धारा 307 एवं धारा 511.....141
आपराधिक मानववध का प्रयत्न (धारा 308)..... 141
आत्महत्या करने का प्रयत्न (धारा 309).....141
—*एम्परर बनाम धिरजिया,* 1940 इलाहाबाद.....141
—*एम्परर बनाम भुल्ला,* 1919 इलाहाबाद 142
—*नरेन्द्र बनाम राजस्थान राज्य,* SCC (Cri) 142
—*सतीश निरंकारी बनाम राजस्थान राज्य,* **2017 SC....** 142
धारा 309 की संवैधानिकता.....143
— *ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य,* 1996 (SC) 143
ठग (Thug) (धारा 310)..... 143
गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में (धारा 312-318)..... 143
— ऐसे कार्य द्वारा किसी शिशु की मृत्यु करना जो आपराधिक मानववध हो (धारा 316).....144
उपहति एवं घोर उपहति (धारा 319-338)
उपहति (*Hurt*) (धारा 319-338).....145
—स्वेच्छया उपहति कारित करना (धारा 321).....146
—स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड (धारा 323)
—खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना (धारा 324).....146
—*धनिया दाजी बनाम एम्परर,* (1868) बाम्बे.....147
— संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना (धारा 330).....147
—प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना (धारा 334).147
—प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना (धारा 335) 147
—कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो (धारा 336)..... .147
— ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन एवं वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाय(धारा 337) [UP (J) 2007]..... 148
—*एम्परर बनाम ओ0 ब्रायन,* 1880 इलाहाबाद..... 150
—स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना (धारा 322)..... 150
— स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड (धारा 325).....150
—खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना (धारा 326).....150
—*विपुल कुमार उर्फ विपुलेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,..* 2015
दण्ड प्रक्रिया संशोधन अंधिनियम, 2013.....150
—एसिड इत्यादि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना (धारा 326क).....152
—स्वेच्छया एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (धारा 326-ख).....152
— *शशिकला बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य,* **AIR 2017 SC 1166**.....152
***–खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, निर्णय तिथि–** 27 अगस्त, 2019, JT 2019 (8) SC 421.....152
***–हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम विजय कुमार @ पप्पू और एक अन्य*, निर्णय तिथि 15 मार्च, 2019**.....**152**
अन्य महत्वपूर्ण वाद.....153
ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए (धारा 338)154
धारा 301 से 338 पर पूछे गये प्रश्न..... 154
सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध
(*Wrongful restraint and Wrongful Confinement*)
(धारा 339-348).....155
सदोष अवरोध (धारा 339)..... 155
स्वेच्छया किसी व्यक्ति को व्यावधान कारित करना 155
लहनू, 1925 बाम्बे 155
सदोष अवरोध के लिए दण्ड (धारा 341).....156
सदोष परिरोध (धारा 340, 342).....156

सदोष परिरोध (धारा 340 r/w 342).....157
—सदोष परिरोध कारित करने का ढंग.....157
सदोष परिरोध के लिए दण्ड (धारा 342).....157
धारा 343 से 348 तक..... 157
आपराधिक बल (धारा 350)(*Criminal Force*).....160
—आवश्यक तत्व.....160
हमला (धारा 351)—आवश्यक तत्व.....162
—दंगा और हमला में अन्तर.....163
—हमला और आपराधिक बल में अन्तर.....164
— लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 353).....164
— *दत्तात्रेय नारायण पाटिल बनाम राज्य,* 1975 SC.....164
लैंगिक उत्पीड़न (Sexual harresment).....165
—स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या
—आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 354).....165
—लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड (धारा 354-क).....165
—निर्वस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 354-ख).....165
—पीछा करना (Stalking) (धारा 354घ).....166
— गंभीर प्रकोपन से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 355).....167
— किसी व्यक्ति द्वारा ले जायी जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 356).....167
— किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 357).....167
— गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 358).....167
व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में (धारा 359-374)..... 167
व्यपहरण तथा अपहरण [UP (J) 1982].....168
व्यपहरण (Kidnapping) (धारा 359)..... 168
— भारत में से व्यपहरण (धारा 360 सपठित 363).....168
— आवश्यक तत्व.....168
—भारत के बाहर प्रवहण, दण्ड (धारा 363).....168
—विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण (धारा 361).....168
— किसी अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति को ले जाना या बहका ले जाना.....169
— *वरदराजन बनाम मद्रास राज्य,* 1965 सु0को0.....169
—पिता अपनी ही पुत्री के व्यपहरण का दोषी होगा.....170
—अपहरण (Abduction) (धारा 362).....170
— विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण.....170
—भारत में से व्यपहरण तथा अपहरण में अन्तर.....170
—भारत में से व्यपहरण और दण्ड (धारा 363)..... 171
—विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण (धारा 361).....172
अपहरण (धारा 362).....172
व्यपहरण तथा अपहरण में अन्तर[UP (HJS) 2016]....172
— भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण (धारा 363-क).....173
—हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण (धारा 364)
—मुक्तिधन (फिरौती) आदि के लिए व्यपहरण(धारा 364-क) 174
— *पी0 लियाकत अली खाँ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,* 2009
— *विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य,* 2015 SCC.....174
— *सुरेश और एक अन्य बनाम, हरियाणा राज्य,* 2015.....174
— *हरपाल सिंह @ छोटा बनाम पंजाब राज्य,* 2016 SC...174
—किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से या सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण (धारा 365).....175
— *देवकी बनाम राज्य,* AIR 1979 SC 1948.....175
— *तरुण बोरा बनाम आसाम राज्य,* AIR 2002 SC.....175
—विवाह आदि के लिए किसी स्त्री को विवश कर व्यपहृत, अपहृत या उत्प्रेरित करना (धारा 366).....175
***— राजा ओर अन्स बनाम कर्नाटक राज्य,* 2016.....** 175
—अवयस्क लड़की का उपापन (धारा 366क).....175
— संजय रजक बनाम बिहार राज्य, निर्णय तिथि– 22 जुलाई, 2019, JT (2019) (8) SC 99.....175
—विदेश से लड़की का आयात करना (धारा 366ख)... 176
—व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण (धारा 367).....176

— अपहृत या व्यपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना (धारा 368).....176
— दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण (धारा 369).....176
—व्यक्ति का दुर्व्यापार (धारा 370).....177
—दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण (धारा 370-क).203
प्रमुख धाराएं एवं उनसे संबन्धित दण्ड पर एक नजर
—वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना (धारा 372).....178
—वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का खरीदना (धारा 373).....178
विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम (धारा 374).....179
यौन अपराध (*Sexual offences*)(धारा 375-377) 179
—बलात्संग (Rape) (धारा 375).....179
— अपवाद 1,2.....179
—गंगा प्रसाद महतो बनाम बिहार राज्य, निर्णय तिथि—26 मार्च, 2019, JT 2019 (3) SC 530180
— बलात्संग के लिए दण्ड (धारा 376)..... 181
— धारा (376-क से ड.).....181
गैंग रेप में महिला की विधिक स्थिति.....181
— *प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, 2006 (SC) 183
— *अकील उर्फ जावेद* बनाम *राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य* (2012) 183
—*रविन्द्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य* 2015 SC 183
—*टट्टू लोधी @ पंचम लोधी बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* **2016** 183
—प्रकृति विरुद्ध अपराध (धारा 377) 183
— ***सुरेश कुमार कौशल और एक अन्य बनाम नाज फाउण्डेशन और अन्य,* JT 2014 S.C. 27** 183
— *राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* 2014 SC..... 183
— *अनिल उर्फ एंथनी एरिक स्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य,* JT 2014 (3) SC 217 183
— *अशर्फी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* निर्णय तिथि 8 दिसम्बर 2017 (धारा 376 (2) (जी), 450, 323) 184
परीक्षापयोगी तथ्य (धारा 339 से 376).....185

अध्याय 17
धाराएँ (378 से 462)
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध

चोरी के विषय में (धारा 378-382).....190
—चोरी (Theft) (धारा 378 r/w **379)**.....190
—चोरी के आवश्यक तत्व..... 190
—बेईमानीपूर्ण आशय (धारा 24 सपठित **23)**.....190
—नौशे अली खाँ, 1911, इलाहाबाद, प्यारे लाल, 1963 191
—*के. एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य* (1957) 191
चल सम्पत्ति.....**192**
—कब्जाधारी की सहमति का आभाव..... 192
—पति या पत्नी एक-दूसरे की सम्पत्ति की चोरी के दोषी हो सकते हैं.....194
—कब कोई व्यक्ति अपनी ही सम्पत्ति की चोरी करता है 194
—चोरी के लिए दण्ड (धारा 379).....194
—*अशी देवी और अन्य बनाम दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र),* 2014 CriLJ 3238.....194
— निवास गृह में चोरी (धारा 380).....195
— लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी (धारा 381).....195
— चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी (382).....195
अपकर्षण या उद्दापन (*Extortion*).....196
(धारा 383-389).....196
उद्दापन या अपकर्षण (Extortion) (धारा 383).....196
— मियार्ड का मामला (1844)..... 196
— किसी व्यक्ति को सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करने के लिए बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करना..... 197
—*चन्द्रकला बनाम राम किशन* 1985 S.C.....197
—उद्दापन के लिए दण्ड (धारा 384).....198
—उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना (धारा 385).....198
—किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन (धारा 386).....198

—मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का 198
अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन (धारा 388)
—उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का
अभियोग लगाने के भय में डालना (धारा 389).....199
—उद्दापन और चोरी में अन्तर [UP (J) 2006].....200
लूट और डकैती के विषय में (धारा 390-402).....199
लूट *(Robbery)*.....201
लूट (Robbery) (धारा 390 सपठित 392).....201
—लूट के लिए दण्ड (धारा 392).....201
डकैती (Dacoity) (धारा 391 r/w **395)**.....202
—डकैती के लिए दण्ड (धारा 395).....204
लूट और डकैती में अन्तर.....204
सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग 205
(*Of Criminal Misappropriation of Property*)
(धारा 403, 404).....205
—मखुल शाह (1886) 1 वेयर 470.....205
—*मेरी बनाम ग्रीन* (1914).....205
—ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की
मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी (धारा 404).....205
आपराधिक न्यास-भंग (धारा 405- 409).....207
(Of Criminal Breach of Trust)
— आपराधिक न्यास-भंग के सन्दर्भ में सिद्ध किये जाने वाले
तथ्य आपराधिक न्यास-भंग के आवश्यक तत्व.....207
— आपराधिक न्यास भंग का दण्ड.....207
चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में
(Of the Receiving of Stolen Property)
(धारा 410-414) 208
— चुराई हुई सम्पत्ति (धारा 410).....208
— ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने
में चुराई गई है (धारा 412).....208
— चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना
(धारा 413).....208
— चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना (धारा 414)
छल (धारा 416-419).....210
— छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से
उत्प्रेरित करना (धारा 420).....246
—आपराधिक दुर्विनियोग, न्यासभंग और छल में अन्तर
[UP (J)2016].....212
कपटपूर्ण विलेख एवं सम्पत्ति का व्ययन
(Fraudulent Deeds and Disposition of Property)
(धारा 421-424) 213
रिष्टि (*Mischief*) **(धारा 425-440).**.....213
— परिभाषा—धारा 425—दण्ड—426, 427, 428 से
लेकर 440 तक).....213
—रिष्टि के लिए दण्ड (धारा 426).....213
—धारा 427, 428, 429.....213
— सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने
द्वारा रिष्टि (धारा 430).....213
—धारा 431-440.....250
आपराधिक अतिचार के विषय में (धारा 441 से 462)
(*Of Criminal Trespass*).....216
—चल सम्पत्ति से संबन्धित आपराधिक अतिचार.....217
—गृह अतिचार (House Trespass) (धारा 442).....217
महत्वपूर्ण वाद 219
परीक्षपयोगी प्रश्न 219
—*मंगराज बरिक बनाम उड़ीसा राज्य,* 1982 (उड़ीसा) 219
प्रच्छन्न गृह अतिचार (धारा 443).....219
— **गृह भेदन** (House-breaking)(धारा 445).....219
प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह भेदन के लिए दण्ड
(धारा 453)..... 219
—धारा (455-456)..... 219
परीक्षापयोगी तथ्य —अध्याय 17(धारा 378-462)
चोरी (धारा 378-382),लूट और डकैती
(धारा 390-402), छल, रिष्टि (धारा 415-440)....219

अध्याय 18
धाराएं (463 से 489 ड.)
दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराध

कूटरचना (Forgery) (धारा 463).....222

— दण्ड (धारा 465).....224
—मूल्यवान प्रतिभूति, विल की कूटरचना (धारा 467) ..225
—कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख (धारा 470) 226
—कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली रूप में उपयोग में लाना (धारा 471).....226
—अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत आदि का बनाना या कब्जे में रखना (धारा 473).....227
—कूट रचना और छल में अन्तर.....227
—धारा 476.....227
—विल दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को
—कपटपूर्वक रद्द नष्ट आदि करना (धारा 477)..... 227
लेखा का मिथ्याकरण (धारा 477क)..... 227
—सम्पत्ति चिह्नों और अन्य चिह्नों के विषय में.....228
—धारा 478, सम्पत्ति चिह्न (धारा 479), धारा 480...228
—मिथ्या सम्पत्ति चिह्न को उपयोग में लाना (धारा 481) 228
— दण्ड (धारा 482).....228
—धारा (483-489)..... 228
—करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में..... 229
(धारा 489-क-ड.).....230

अध्याय 19 (धारा 490-492)
सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग

धारा 490—*(निरसित) कर्मकार संविदा भंग (निरसन) 1925 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।*.....230

अध्याय 20 (धारा 493-498)
विवाह संबन्धी अपराधों के विषय में
(*Of Offences Relating to Marriage*)

जारकर्म (Adultery) (धारा 497).....231
—*रामचन्द्र* बनाम *झारखण्ड राज्य* (2012).....231
—विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या विरुद्ध रखना (धारा 498)....231
सहपालन (धारा 498) के आवश्यक तत्व 232
—*आलमगीर बनाम बिहार राज्य,* 1959 SC.....232

अध्याय 20-क (धारा 498-क)
पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता
(*Of Cruelty by Husband or Relatives of Husband*).

सतीश शेट्टी बनाम कर्नाटक राज्य, निर्णय तिथि, **2016**.233
महत्वपूर्ण वाद.....**233**

अध्याय 21 (धारा 499-502)
मानहानि

मानहानि 235
मानहानि के 10 अपवाद.....235
मानहानि के लिए दण्ड (धारा 500).....235
—मानहानि के अपवाद (1 से 10).....235
—न्यायालय की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का सारतः प्रकाशन.235
—मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना (धारा 501).....235
—मानहानिकारण विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना (धारा 502).....235

अध्याय 22 (धारा 503-510)
आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में
(Of Criminal Intimidation, Insult & Annoyancee)

[UP (HJS) 2010] आपराधिक अभित्रास (धारा 503)...237
—*श्रीमती चन्द्रकला बनाम रामकिशन,* (1985) 4 SCC ...237
—लोक-शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से — साशय अपमान (धारा 504).....237
—लोक-रिष्टिकारक वक्तव्य (धारा 505).....237
—आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड (धारा 506).....237
—अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास (धारा 507).. 237
मत्त व्यक्ति द्वारा लोक-स्थान में अवचार (धारा 510).....237
एक पंक्तिय प्रश्न (धारा 463–511).....239
भाग 2—भारतीय दण्ड संहिता के समस्यात्मक प्रश्न.....**241 से 312**
भाग 3—भारतीय दण्ड संहिता वस्तुनिष्ठ प्रश्न.....
.....**312 से 380**

⌘⌘⌘

मुख्य परीक्षा में भारतीय दण्ड संहिता पर पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1—'अपराध कारित करने की तैयारी' और 'अपराध कारित करने का प्रयास' को समझाते हुए उनके मध्य अन्तर को स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि में निर्णीत वादों का उपयुक्त उदाहरण दीजिए। [UP (J) 2016] 8

प्रश्न : आपराधिक मनःस्थिति से आप क्या समझते हैं? भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आपराधिक मनःस्थिति का क्या महत्व है समझाइये? **[UP (J) 2016] 14**

प्रश्न : क्षेत्रातीत सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। राज्य-क्षेत्रातीत कार्यवाही तथा प्रत्यर्पण में क्या अन्तर है? [UP (HJS) 2016] **17**

प्रश्न : प्रतिनिधिक दायित्व या संयुक्त उत्तर दायित्व क्या है तथा इसका क्या तात्पर्य है ?

प्रश्न : प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धान्त का औचित्य एवं आधार क्या है?

प्रश्न : क्या प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धान्त दण्ड विधि में भी लागू है?..... .... **25**

प्रश्न : सामान्य आशय से आप क्या समझते है; यह सामान्य उद्धेश्य से किस प्रकार भिन्न है ।

[MP (J) 2016, Utt. (J) 2016] 25

प्रश्न : सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? व्याख्या करें। **26**

प्रश्न : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 53-क के अन्तर्गत निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ बताइये। [UP (APO) 2015] 26

प्रश्न : निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणीयाँ लिखिए।

प्रश्न : जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माना दण्डनीय है। **[UP (HJS) 2018] .....** 36

प्रश्न : निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणीयाँ लिखिए।

प्रश्न : ''तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है किन्तु विधि की भूल नहीं।'' इस कथन की व्याख्या कीजिए। **[UP (J) 2018] . 38**

प्रश्न : सम्पत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए। क्या सम्पत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है। **[UP (J) 2018] 66**

प्रश्न : दुष्प्रेरक कौन होता है? विस्तारपूर्वक समझाइये कि वह किये गये अपराध एवं न किये गये अपराध का कब जिम्मेदार होता है?**[Utt.(J) 2015, UP (J) 1991] .....** 75

प्रश्न : दुष्प्रेरक की परिभाषित कीजिए? किन परिस्थितियों में दुष्प्रेरक तथा वास्तविक कर्ता (actual doer) समान दण्ड से दण्डित किये जा सकते हैं?.....75

प्रश्न : दुष्प्रेरक कौन है? क्या भारत में किये ऐसे कृत्य जो विदेश में किया जाना है, के लिए दुष्प्रेणकर्ता दायी होगा? ..**(धारा 108 r/w Sec. 108 -क) .....** 79

प्रश्न : आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा दीजिए एवं उसका दण्ड बताइये ? **[Utt. (J) 2016] 79**

प्रश्न : आपराधिक षडयंत्र के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए तथा दुष्प्रेरण से उसका अन्तर स्थापित कीजिए। ..... **[Utt. (J) 2018] 83**

प्रश्न : क्या विधि-विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्धेश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी होगा? क्यों?**[UP (APO) 2015, Utt. (J) 2015] ..** 91

प्रश्न : कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी कब होता है, क्या मौखिक रूप से किया गया कथन मिथ्या साक्ष्य के अन्तर्गत आता है।**[UP (APO) 1997] 101**

प्रश्न : आपराधिक मानववध से आप क्या समझते हैं यह हत्या की कोटि में कब आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता। **[UP (J) 2015] 101**

प्रश्न : कब सदोष मानव वध हत्या नहीं होती? उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए।**[UP (J) 2006] 113**

प्रश्न : आपराधिक मानववध से आप क्या समझते हैं यह हत्या की कोटि में कब आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता। **[UP (J) 2015] 113**

प्रश्न : कब सदोष मानव वध हत्या नहीं होती? उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए।[UP (J) 2006] **13**

प्रश्न : अम्ल का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विहित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। **[UP (HJS) 2018 (II)] 152**

प्रश्न : 'सदोष परिरोध' के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिये और 'सदोष अवरोध' से उसकी भिन्नता बताइये। **[UP (J) 2007] 157**

प्रश्न : दृश्यरतिकता एवं पीछा करना, के अपराधों को वर्णित करें।**[MP (J) 2013] 165**

प्रश्न : विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण क्या है? इसकी आवश्यक तत्वों सहित व्याख्या कीजिए।**[UP (J) 2018] 168**

प्रश्न : लूट के आवश्यक तत्व क्या है? इसे कब डकैती कहा जाता है? यदि उपर्युक्त अपराध करते हुए अपराधी किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो उसे किस अपराध का दोषी माना जायेगा? ..... **[UP (J) 2006] 168**

प्रश्न : लूट को परिभाषित कीजिए और लूट उद्घापन में अन्तर बताइए।**[UP(APO) 2007] 168**

प्रश्न : चोरी कब लूट बन जाती है? विवेचना कीजिये। [UP (APO) 2011, Utt (J) 2016] **201**

प्रश्न : आपराधिक दुर्विनियोग क्या है? यह आपराधिक न्यास भंग और छल से किस प्रकार से भिन्नता रखता है। [MP (J) 2012] 205

प्रश्न : आपराधिक न्यास-भंग किसे कहते हैं ? ऐसे अपराध में किन-किन बातों को सिद्ध किया जाना आवश्यक है 'आपराधिक न्यासभंग और आपराधिक दुर्विनियोग' में अन्तर स्पष्ट कीजिए ? अपना उत्तर उदाहरण सहित कीजिए **?** **[UP (J) 2016] 205**

प्रश्न : आपराधिक न्यास-भंग क्या हैं ? इसके आवश्यक तत्व क्या है ? आपराधिक दुर्विनियोग से यह किस प्रकार भिन्न है ? **[UP (J) 2015] 207**

प्रश्न : आपराधिक अतिचार क्या है ? क्या चल सम्पत्ति में आपराधिक अतिचार का अपराध कारित किया जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइये।**[MP (J) 2014] 207**

प्रश्न : आपराधिक अतिचार पर टिप्पणी करें। [UP (APO) 2015] 216

प्रश्न : जालसाजी (कूटरचना) और छल को परिभाषित कीजिये और उनके मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए। ..... **[UP (J) 2016] 216**

प्रश्न : कूटरचना पर टिप्पणी कीजिये।..... **[UP (J) 2007, UP (APO) 2007] 222**

प्रश्न : जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 2018 सु.को. 4898 में, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 और साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 (2) को विखण्डित कर दिया। ऐसा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई पृष्ठभूमि एवं तर्कों की विवेचना कीजिए।..... [UP (HJS) 2018 (II)] 231

प्रश्न : मानहानि क्या है। मानहानि के अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। इसके अपवादों को स्पष्ट करें। **[MP (J) 2013] 231**

प्रश्न : मानहानि के अपराध को परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं सोदाहरण व्याखया कीजिए। [UP (J) 2015] 231

प्रश्न : भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 21 के अन्तर्गत वर्णित ''मानहानि'' से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।[UP (HJS) 2018 (II)] 234

प्रश्न : मानहानि से आरोपित व्यक्ति के लिए कौन-कौन से विविध अभिवाक् उपलब्ध है ? [UP (APO) 2015] 235

⌘⌘⌘

प्रमुख वाद (भारतीय दण्ड संहिता)

आपराधिक मनःस्थिति (धारा 34) :

1. क्वीन बनाम टाल्सन
2. रेक्स बनाम जैकब
3. ब्रैन्ड बनाम वुड
4. शेराज बनाम रूजटन
5. आर. बनाम प्रिंस
6. होब्स बनाम विन्चस्टर कार्पोरेशन
7. राज्य बनाम शिव प्रसाद
8. महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जार्ज, ए.आई.आर. 1965

सामान्य प्रतिरक्षा :

9. उड़ीसा राज्य बनाम राम बहादुर थापा —धारा 76/79
10. उड़ीसा राज्य बनाम भगवान बारिक —धारा 76/79
11. टुन्डा बनाम राज्य, 1950 इला0 —धारा 80
12. आर. बनाम डाड्ले एवं स्टीफेन्स —धारा 81

विकृतचित्तता (धारा 84) :

14. क्वीन एम्परस बनाम केदार नेसर शाह
15. लक्ष्मी बनाम राज्य
16. अशिरूदीन अहमद बनाम किंग

मत्तता (धारा 85, 86)

17. श्री कान्त आन्नदराव भोसले बनाम महाराष्ट्र राज्य
18. वासुदेव बनाम पेप्सु राज्य
19. रेक्स बनाम मेकिन
20. रेक्स बनाम मिडे
21. डी.पी.पी. बनाम बियर्ड

मत्तता (धारा 96-106) :

22. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप
23. वासन सिंह बनाम पंजाब राज्य
24. बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य
25. देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
26. जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्य

संयुक्त दायित्व (धारा 34/149-106)

27. बारेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर (पोस्टमास्टर हत्या वाद)
29. आर. बनाम. क्रूस
30. किंग बनाम प्लमर
31. क्वीन बनाम साबिद अली
32. महबूब शाह बनाम एम्परर —सिन्धु नदी वाद
33. ऋषिदेव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

दुष्प्रेरण (धारा 107) :

34. क्वीन बनाम मोहित, 1954 एस.सी.

षड्यन्त्र (धारा 120-क) :

35. मलके वी. आर. 1954
37. राज्य बनाम नलनी

राजद्रोह (धारा 124) :

38. क्वीन बनाम जोगेश्वर चन्द्र बोस
39. क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक
40. केदार नाथ बनाम बिहार राज्य, 1955 एस.सी.
41. तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1954 एस.सी.

मानववध, हत्या (धारा 299 एवं 300)

42. क्वीन इम्प्रेस बनाम खांडू
43. बेकर बनाम स्नेल,
44. क्वीन बनाम लैटीमर, आन्दा बनाम राज्य
45. पलानी गोडन बनाम इम्परर —धारा 299/300
46. इम्परर बनाम मुशनूर सूर्यनारायण मूर्ति —धारा 301
47. रावलपेन्टा वेन्कालु बनाम हैदराबाद राज्य—धारा 300 (1)
48. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1958 —धारा 300 (3)
49. आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम आर. पुनैया —धारा 299 (ख)/300 (3)
50. धूपर चमार बनाम बिहार राज्य
51. इम्परर बनाम धिरजिया (1940) —धारा 300
52. के.एम.नानावती बनाम राज्य —धारा 300 का अप.1
53. आर. बनाम डफी —धारा 300 का अप. 1
54. घेपू यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य —धारा 300 अपवाद 4
55. शान्ति बनाम हरयाणा राज्य —धारा 300-ख
56. चेरूबिन ग्रेगरी बनाम बिहार राज्य —धारा 304-क

व्यपहरण (धारा 362)

57. एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य
58. ठाकोरलाल डी. वदगामा बनाम गुजरात राज्य
59. शशि बनाम भारत संघ (धारा 376)
60. प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (धारा 376)

चोरी (धारा 362)

61. प्रिया लाल भार्गव बनाम राज्य
62. के. एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य
63. आर बनाम थाम्पसन (धारा 379)

प्रयत्न

64. इम्प्रेस बनाम रियासत अली
65. रैक्स बनाम वाइट
66. आर. बनाम मैक्फर्सन
67. आर. बनाम ब्राऊन
68. असगर अली प्रधानिया बनाम इम्परर
69. अभयानन्द मिश्र बनाम बिहार राज्य
70. महाराष्ट्र राज्य बनाम मो. याकूब
71. पी. रथिनाम बनाम भारत संघ (धारा 309)
72. मारूती श्रीपति दुबाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (धारा 309)
73. ग्यान कौर बनाम पंजाब राज्य (धारा 309)

मानहानि (धारा 499)

74. सुब्रामण्यम स्वामी बनाम भारत संघ